तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2025	पत्रावली पेश हुयी। प्रा0 प0 अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 पर बहस विगत तारीख पेशी पर सुनी गयी थी। प्रा0प0 के संबधं में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी मंजीत सिंह पुत्र इन्दर सिह पौत्र हरिसिंह व अन्य ने इस आशय का प्रा0प0 प्रस्तुत किया है कि वादी ने मौजुदा दावा गलत तथ्यों के आधार बनाकर प्रस्तुत किया है। वादी ने दावा एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती कराने का अनुतोष चाहा है जबकि कानूनन एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्व अभिलेख में किसी तरह की दुरूस्ती नही करायी जा सकती है। वादी ने वाद पत्र में स्वंय को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। वादी ने वाद पत्र में तथाकथित वचन पत्र दिनांक 09.09.1969 के आधार पर बेचान वादी को किये जाने का कथन करते हुए स्वयं को केता बताया है। अव्वल तो तथाकथित वचन पत्र फर्जी व कूठरचित है तथा कानूनन वचन पत्र के आधार पर किसी संपत्ति का बेचान भी नही किया जा सकता है इसलिए उससे कोई हक अधिकार वादी को विवादित आराजी में सृजित व हासिल नही होते है न हो सकते है बल्कि इस आधार पर वादी को सक्षम सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है और इस आधार पर दावा वादी काबिल खारिज है। इसलिए दावा इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रा0प0 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में सही अनुतोष चाहा गया है तथा खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अनुतोष चाहा गया है जिस अनुतोष का निस्तारण करने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। मिन वादी द्वारा वचन पत्र दिनांक 09.09.1969 के आधार पर आराजी का बेचान वादी को लिये जाने का कथन करते हए स्वयं को केता बताया है तथा वचन पत्र न तो फर्जी है ना ही कूटरचित है अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से प्रतिवादी द्वारा मिन वादी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। प्रतिवादी का यह कहना कि वचन पत्र के आधार पर संपत्ति का बेचान नही किया जा सकता है वह गलत है स्वीकार नही है तथा यह कहना भी गलत है कि वादी को विवादित आराजी में कोई अधिकार विधिक व हासिल नही होने हो, इस तरह यह कहना भी गलत है कि सिविल न्यायालय में दावा लाना चाहिए था और माननीय न्यायालय को हस्तगत वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। अन्य उजात मजीद में वादी ने कथन किया है कि मिन वादी द्वारा जो दावा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है उसे दावे का अनुतोष दुरूस्ती इन्द्राजात बाबत है एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है इस तरह न्यायालय को ही कब्जे के आधार पर वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा मिन वादी का कब्जा विवादित आराजी पर दिनांक 09.09.1969 वचन पत्र तहरीर होने के पश्चात से ही चला आ रहा है इस आधार पर वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश किया है। अनुतोष के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराई जाकर वादी को काबिज काश्तकार घोषित किया जाये। इस प्रकार का अनुतोष केवल माननीय न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है सिविल न्यायालय को खातेदार	

उप खण्ड़ अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

घोषित करने का अधिकार नही है। इस प्रकार प्रा0प0 हसी बिना पर खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौरान बहस अपने प्रा0प0 के कथनो का दोहराव किया तथा प्रमुखतः कथन किया कि किसी वचन पत्र के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस राजस्व न्यायालय को नही है तथा एडवर्स पजेशन के अधिकार खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना न्यायसंगत नही है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कि जिससे मूल रूप से अंकित किया है कि दावे में तनकी पूर्व प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया प्रा0प0 पोषणीय नही है तथा वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर इसी न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकने का अधिकारी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब, बहस का अध्ययन अवलोकन किया तथा मनन किया इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि मूल दावे की बुनियाद एक वचन पत्र के आधार पर और वचन पत्र एक प्रकार से इकरारनामा माना जा सकता है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में निहित नही है। इसी प्रकार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का जो अनुतोष चाहा गया है वह भी न्यायसंगत नही है तथा एडवर्स पजेशन होने का आधार भी वादी ने वचन पत्र को ही अभिकथित किया है। इस प्रकार वचन पत्र के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को निहित नही होने से प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रा0प प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)